न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

डिक्री मुकदमा इस्तावाई (ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

वादीगण

1. रामकरण उम्र 69 वर्ष पुत्र रामगोपाल
2. जगदीश उम्र 79 वर्ष पुत्र रामगोपाल
3. गंगासहाय उम्र 77 वर्ष पुत्र रामगोपाल
4. रामेश्वर उम्र 81 वर्ष पुत्र रामगोपाल (मृतक दौराने दावा)

4/1 प्रभाती देवी पत्नी स्व0 रामेश्वर
4/2 कैलाशचन्द पुत्र स्व0 रामेश्वर
4/3 रामराय पुत्र स्व0 रामेश्वर
4/4 सत्यनारायण पुत्र स्व0 रामेश्वर
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम गोकुलपुरा लसाडिया तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4/5 सीता पत्नी राधेश्याम पुत्री स्व0 रामेश्वर जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम दूधली तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4/6 सन्तोष देवी पत्नी बनवारीलाल पुत्री स्व0 रामेश्वर निवासी ग्राम मित्रवाडी सिकन्दरा, बांदीकुई।
4/7 सन्तोष देवी पत्नी बिहारीलाल पुत्रवधु स्व0 रामेश्वर
4/8 मुकेश पुत्र बिहारीलाल पौत्र स्व0 रामेश्वर
4/9 शिमला पत्नी राकेश जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा।
4/10 गुडडी पत्नी बाबूशंकर
4/11 बीना पत्नी शंभूदयाल
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम कल्लावास तहसील रामगढ पचवारा।
4/12 स्यानु पत्नी कमलेश जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम फतेहपुरा बासा, तहसील चौमु जिला जयपुर।
4/13 रीना पत्नी राजेन्द्र जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4/14 अचिता पत्नी सुरज्ञान जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम तोलडा तहसील लालसोट जिला दौसा।

प्रतिवादीगण

1. धासीलाल आयु 80 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम लसाडिया गोकुलपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा बस्सी जिला जयपुर द्वारा शाखा प्रबंधक बैंक शाखा।
4. उप पंजीयक बस्सी तहसील बस्सी।

<u>दावा बाबत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं अभिलेख अंकन शुद्धि</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 रा0भू0रा0अधि0</u>

उपस्थित :– श्री सनातन पारीक, एड0 वादी।

पर्चा डिक्री

मुकदमा न0 33/2023 — जी.सी.एम.एस. न0 2023/337

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हमारे .... वादीगण व .... प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू हमारे मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण बाबत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं अभिलेख अंकन शुद्धि स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता के नाम दर्ज पूर्व साबिक खसरा नम्बर 253 व 256 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 0.5500 है0 भूमि दौराने एकीकरण कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी वर्तमान खसरा नम्बर 192 रकबा 1.4289 हैक्टेयर ग्राम लसाडिया गोकुलपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर में विलिन होने से वादी को उक्त वादग्रस्त में से रकबा 0.5500 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार खातेदारी दर्ज की जावे एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत् प्रतिवादीगण संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तदानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व रिकॉर्ड में अमद दरामद की कार्यवाही करे। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर
बस्सी जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner